न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 10/2025

1. गोरधन पुत्र मघाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– प्रार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर।
2. भागुराम पुत्र मघाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. चन्द्रकला पत्नि भागुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. ग्राम पंचायत पदंमपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पदमपुरा तहसील नोहर ।
5. ग्राम पंचायत गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री रामकुमार बैनिवाल अधिवक्ता 2, 3

श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांकः–24.03.2026

गोरधन पुत्र मघाराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर द्वारा पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 09.06.2025 को पारित निर्णय विरूद्ध निगरानी पेश की है,जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. ग्राम पंचायत पदमपुरा तहसील नोहर की आबादी भूमि में पूर्व में ग्राम पंचायत गुडिया के अधीन थी और वर्तमान में गुडिया ग्राम पचांयत स्वतंत्र हो गई है और अपीलार्थी को आबादी भूमि पदमपुरा में तादादी 60 गुणा 60 फुट यानी 3600 वर्गफट का एक भूखण्ड जिस का विधिवत प्रक्रिया अपना कर तत्कालि[illegible] ग्रा[illegible]ंचायत गुडिया द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में भूमि विक्रय विलेख क[illegible] सं. 370 दिनांक 17.04.1977 को राजस्थान पंचायत एंव न्याय.प.सा. नि. 1961 के [illegible]तर्गत एक पट्टा सं.[illegible]कीमतन जारी किया गया है, जो भूखण्ड अपीलार्थी के अधिपत्य में है, जिसमें एक कच्चा कमरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बनाकर जिसमें तुडी निरा आदि डालकर नोहरे के उपयोग में लिया जाता रहा है और पिछले कुछ वर्षो से कमरा कच्चा होने बरसात आदि होने के कारण गिर गया है प्रत्यार्थी सं. 2 व 3 काफी लालची है, जो अप्रीलार्थी के उक्त पट्टे शुदा भूखण्ड को हड़प कर उसे अपने आधिपत्य में लेना चाहते है । प्रत्यार्थी सं. 2 व 3 द्वारा माह मई 2022 को अन्तिम सप्ताह से उक्त भूखण्ड में अपीलार्थी को बिना अनुमति जलाउ लडकी, थेपडी, आदि डाली जाने लगी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.06.2022 को प्रार्थी सं. 2/3 को पटटा शुदा भूखण्ड पर अपना हक जता रहे है जिससे वाद विवाद व झगडा फसाद होने का अन्देशा है। इसलिए इन दोनों पटटो को खारीज किया जावें।

2. अधीनस्थ न्ययालय में अपीलान्ट ने अपील सं. 63/2022 अपीलार्थी गोरधन द्वारा भागुराम व चन्द्रकला के पक्ष में ग्राम पंचायत पदमपुरा तहसील नोहर द्वारा जारी पट्टा सं. 17 दिनांक 06.08.2019 बहक भागुराम पुपत्र मघाराम सा किन पदमपुरा तहसील नोहर तथा पटटा सं. 16 दिनांक 30.11.2021 बहक चन्द्रकला पत्नि भागुराम साकिन पदमपुरा को खारीज करवाने हेतु में धारा 5 अधिनियम के साथ अपीलान्ट अपीले पेश कि उक्त दोनो पट्टा अपीलों में वर्णित विवादित भूखण्ड दोनो अपीलें कि सुनवाई एक साथ जोडा, जाकर अपील सं. 63/2022 कि गई।

3. अपीलान्ट के द्वारा इस सम्बध में एक अपील सं. 63/2022 पचांयती राजी अधिनियम कि धारा 6 (1) के अन्तर्गत अपील पेश कि एवं रेस्पोडेन्ट के द्वारा भी एक अपील सं. 69/2022 पेश कि गई और दोनो अपीलो का विषय विस्तु एक होने की वजह से शमिल कर सुनवाई कि गई लेकिन अधीनस्थ न्यायलय स्टेडिंग कमेटी पंचायत समिति नोहर के द्वारा रिविजन वर्णित भूखण्डो का कोई मौका निरीक्षण नही किया गया और रेस्पोडेन्ट ने दु:रभि सन्धि के द्वारा उक्त निर्णय अपने पक्ष में करवा दिया, जो कि निर्णय दिनांक 09.06.2025 पंचायत समिति नोहर अपीलांट के हक हकुकों पर बेअसर व अविधिक होन की वजह से काबिल खारीजी के है।

4. रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के द्वारा अपीलान्ट के सन् 1977 से पूर्व के कब्जा शुदा व सन् 1977 का पट्टा शुदा भूखण्ड में अपने ग्राम पंचायत पदमपुा से साज--बाज करके फर्जी तरीके से बनाये गए गैर कानूनी पट्टो के आधार पर जबरदस्ती स्थायी अतिक्रमण करने कि फिराक में है उक्त रिविजन वर्णित भूखण्ड पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 का कभी कोई कब्जा नही है ऐसा करने से मना किया तो रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 तेश में आ गए व कहा कि अपीलार्थी के पट्टा शुदा भूखण्ड को प्रत्यार्थी सं. 4 से साज – बाज करके अलग–अलग अपने नाम से पट्टे जारी करवा रखे है। उक्त पट्टे के आधार पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर कब्जा करेगे अप्रीलार्थी ने प्रत्यार्थी सं. 4 से रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के बताए अनुसार पट्टो की मांग की तो प्रत्यार्थी सं. 4 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के नाम पट्टो की प्रतिया अपीलार्थी को दी, जिससे पता चला कि अपीलार्थी के पट्टा शुदा भूमि को शामिल करते हुए उसके पूर्वी तरफ से 37 गुणा 80 फिट माप का एक पट्टा सं. 17 दिनांक 06.08.2019 तथा शेष बचे पश्चिमी हिस्सा की भूमि का 36/60 फिर माप का एक पटटा सं. 16 दिनांक 30.11.2021 नियत 157 (1) के तहत प्रत्यार्थी सं. 2 व 3 ने अपने नाम से बना रखे है। अपीलार्थी ने उक्त दोनो पट्टो पूर्व से जारी पट्टो शुदा भूमि को शामिल करते हुए जारी होना बताते हुऐ अपीलार्थी पटटो को खारीज करने का कहा तो प्रत्यार्थी सं. 2 व 3 ने इन्कार कर दिया प्रत्यार्थी सं. 2 व 3 ने प्रत्यार्थी सं. 4 से साज -- बाज करके अपने नाम से विधि विरूद्व पट्टे जारी करवाये है। अपीलार्थी पट्टो में वर्णित भूखण्ड का अपली र्थी के नाम से पट्टा दिनांक 17.04.1977 को बना हुआ है प्रत्यार्थी सं. 2 व 3 का इस भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नही रहा है। व ना ही आज है पूर्व से पट्टा शुदा भूमि का नया पट्टा जारी नही किया जा सकता है। प्रत्यार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में प्रत्यार्थी सं. 4 ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए एक ही दिन में सारी कार्यवाही दिखाकर अपीलाधीन पट्टे बनाऐ है। अपीलाधीन पट्टो के अस्तित्व में बने रहने से प्रत्यार्थी सं. 2 व 3 उक्त पट्टो के आधार पर अपीलार्थी चुकि अपीलाधीन पट्टो जो कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 भागुराम पुत्र मघाराम के पट्टा सं. 17 दिनांक 06.08.2019 एवं पट्टा सं. 16 दिनांक 30.11.2021 बहक चन्द्रकला पत्नि श्री भागुराम ने जो पट्टे बनवाऐ है इससे पूर्व अपीलान्ट के पक्ष में लगभग 50 वर्ष पूर्व विधिवत रूप से ग्राम पचातत गुड़ीया द्वारा किमतन पट्टा जारी किया जा चुका है। जिसे रेस्पोडेन्ट के जारी शुदा पट्टो दिनांक तक खारीज नही किया गया था ग्राम पंचायत पदमपुरा ने उक्त पटटे पर पटटा सं. 16 व 17 नये जारी किये, जो कि किसी भी पंचायती राज नियम के तहत वैध नही है, खारीज योग्य है। यही बिनाय रिविजन है।

5. अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर ने अपने निर्णय में रिविजन कर्ता के पक्ष में जारी पटटा सं. 5 दिनांक 17.04.1977 बरूवे ग्राम पंचायत पदमपुरा, गुडिया द्वारा जारी किया गया है, जिसके सम्बध में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत पदमपुरा मे रिकार्ड उपलब्ध नहीं है व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के पट्टे रिविजन कर्ता के माप से भिन्न हैं और इस प्रकार गैर निगरानी कर्ता सं. 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा भिन्न माप के होने के कारण अलग होना साबित है एंव भागुराम व चन्द्रकला के उक्त भूखण्ड का मौका निरीक्षण कमेटी कि रिपोर्ट के अनुसार उनके कब्जा में होना व विवादित भूखण्ड पर पुराने कच्चे निर्माण के अलबता होना बताया [illegible] स प्रकार भागुराम व चन्द्रकला के पक्ष में पट्टे सही किया जा[illegible] अधीनस्थ न्यायासलय पचांयत समिति नोहर को इस बात का ज्ञान था कि निगर[illegible] कर्ता के पक्ष में जारी शुदा पटटा ग्राम पंचायत गुडिया का है, यदि अधीनस्थ न्यायालय तत्पपश्चात ग्राम पंचायत गुडीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के द्वारा आवश्यक रिपोर्ट मंगवाई जा सकती थी, जिसे सही स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन चुंकि अधीनस्थ न्यायालय का उक्तं निर्णय राजनैतिक प्रभाव व दुरूरभि सन्धि पर आधारित है, जो स्पष्ट प्रतित होता है एंव अधीनस्थ न्यायालय में निरीक्षण कमेटी कि रिपोर्ट पेश हुई है। वह मनगढंत व मनमाने तरीके से तैयार कि गई है एवं मौका रिपोर्ट बनाने के लिए निरक्षण कमेटी कभी मौका पर नहीं गई और झुठी रिपोर्ट बनाकर उक्त निर्णय कर दिया गया, जो काबिल खारीज व निरस्त योग्य है।

7. रिविजन समायत अदालत है दो रूपये कि कोर्ट फिस पर तहरीर कर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः रिविजन व रिविजन कर्ता स्वीकार फरमाई जाकर करार दिया जावे कि—

(क) अधीनस्थ न्यायालय पचांयत समिति नोहर द्वारा रिविजनकर्ता द्वारा पेश अपील सं. 63/2022 कि विषय वस्तु गैर निगरानी कर्ता सं. 2 व 3 भागुराम व चन्द्रकला के पक्ष में ग्राम पंचायत पदमपुरा द्वारा जारी पटटा सं. 16 दिनांक 30.11.2021 एवं पटटा सं. 17 दिनांक 06.08.2019 को खारीज फरमाया जावे। व निगरानी कर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत् गुडिया द्वारा भूमि विक्रय विलेख के तहत जरिये मिसल सं. 570 दिनांक 17.04.1977 पटटा सं. 05 जो किमतन जारी किया गया को भाल फरमाया जावे।

(ख) खर्चा रिविजन रिविजनकर्ता गैर रिविजन कर्ता से दिलवाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो मुफीद निगरानी कर्ता हो दिलाई जावें।

(घ) अन्य वजुहात वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या– 2, 3 की ओर से श्री रामकुमार बैनिवाल एडवोकेट, श्री महेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–1 अधीनस्थ न्यायालय से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या–4, 5 रजिस्ट्र्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

लिखित बहस निगरानी कर्ता की और से निम्न प्रकार से है–

1. निगरानी कर्ता गांव पदमपुरा तहसील नोहर का सामान्य नागरिक है उसे ग्राम पचांयत पदमपुरा कि आबादी भूमि में स्थित ग्राम पंचायत गुडिया के द्वारा 1977 में पट्टा सं. 5 दिनांक 17.04.1977 को तादादी 60 गुणा 60 फुट बराबर 3600 वर्गफुट किमतन पट्टा जारी शुदा है, जो कि मातहत अदालत पचांयत समिति नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के द्वारा विधि विरूद्व निर्णय दिनांक 09.06.2025 को खारिज किया गया जो विधि सम्मत न होकर बखिलाफ कानून है।

2. उक्त पट्टा शुदा भूखण्ड आज दिनांक तक मुझ निगरानी कर्ता के कब्जा में है जिसका उपयोग – उपभोग वह स्वतंत्र रूप से कर रहा है। तथा गैर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत पदमपुरा से दुःरभि सन्धि कर मेरे भूखण्ड का जारी शुदा पटटा पर पटटा सं. 17 दिनांक 06.08.2019 व पट्टा सं. 16 दिनांक 30.06.2021 को क्रमश बहक भागुराम व चन्द्रकला के नाम विरूद्व कानूनी के पट्टे जारी कर दिये जो कि राजस्थान पचांयत राज अधिनियम के खिलाफ है चुंकि ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्व मे किये गये भूखण्ड के आवंटन के सम्बध में जारी शुदा पट्टा को जब तक नियमो के अनुसार पट्टा धारक को बिना पूर्व सुनवाई यदि उसका पट्टा खारीज नही किया जाता है तब तक उक्त भूखण्ड को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन नही किया जा सकता है लेकिन प्रश्नगत मामले में ग्राम पंचायत पदमपुरा ने उक्त पंचायती राज नियमो कि अवहेलना करते हुऐ उपरोक्त वर्णित पट्टा सं. 17 दिनांक 06.08.2019 बहक भागुराम एवं पटटा सं. 16 दिनांक 30.11.2021 बहक चन्द्रकला के नाम से पट्टे जारी कर दिये है । जो कि किसी भी माईने मे विधि सम्बत नही माने जा सकते है।इस प्रकार उक्त निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

3. गैर निगरानी कर्ता के द्वारा ग्राम पंचयत पदमपुरा से दुरूरभि सन्धि के द्वारा जो पट्टे पर पटटे सं. 17 व 16 अपने पक्ष मे जारी करवाये गये है उसकी ताहिद मे दिये गये शपथ पत्र की मद सं. 1 व 2 में गैर निगरानी कर्ता द्वारा स्पष्ट अंकन किया गया है कि यदि इस भूखण्ड का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका है तो मेरा पट्टा स्वंत ही निरस्त समझा जावे इस प्रकार पश्चातवर्ती दोनो पटटे सं. 17 व 16 विधि अनुसार खारीज किये जाने योग्य है।

4. अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थापना स्थाई समिति व पंचायत समिति नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2025 में यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी भागुराम व चन्द्रकला को ग्राम पंचायत पदमपुरा द्वारा आवंटित भूखण्ड माप व इसे पूर्व निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत गुडिया द्वारा आवंटित भूखण्ड के माप का मिलान नही होना अपने निर्णय से दर्शित किया है और इस आधार पर दोनो पक्षो के भूखण्ड को अलग–अलग मानते हुऐ अधिनस्थ अदालत ने प्रार्थी के दावे को अस्वीकार कर दिया जबकि वास्तविकता यह है कि निगरानीकर्ता का भूखण्ड 60 गुणा 60 फुट बराबर 3600 वर्गफिट माप का है जबकि गैर निगरानीकर्ता की जो उसी स्थान पर भूखण्ड सं. 17 व 16 का आवंटन हुआ है उसमे निगरानी कर्ता के भूखण्ड के साथ–साथ चिपती हुई गली कि जगह को व कुछ अन्य जगह को मिलाकर उक्त दोनो भूखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

गैर निगरानीकर्ता भागुराम व चन्द्रकला जो कि भूखण्ड साईज 37 गुणा 60 फुट पटटा सं. 17 व शेष बची पश्चिम दिशा कि भूमि 36 गुणा 60 फुट का पटटा सं. 16 जारी करवाये गये है, जो कि गैर निगरानीकर्ता के भूखण्ड निगरानी कर्ता के भूखण्ड को संयोजित करते है जो कि विधि विरूद्व पश्चात नियमो के बखिलाफ है इस आधार पर निगरानीकर्ता कि निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर ने अपने निर्णय में यह माना है कि निगरानीकर्ता का अपने भूखण्ड पर कब्जा कभी नही रहा है। जबकि वास्तविकर्ता यह है कि निगरानीकर्ता अपने भूखण्ड के आवंटन दिनाक 17.04.1977 से पूर्व से आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा में है अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वास्ते कब्जा रिपोर्ट हेतु केवल कागजी कार्यवाही दिखाने के अलावा भौतिक रूप से कोई स्थापना नही किया गया जबकि उक्त भूखण्ड में आज भी निगरानीकर्ता का जीन–सीन कच्चा मकान बना हुआ है। उसका उपयोग एवं उपभोग नोहरे के रूप मे आज भी करता आ रहा है। इस आधार पर निगरानी स्वीकार किये जोन योग्य है ।

अतः लिखित बहस निगरानीकर्ता पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2025 को उपरोक्त आधारो पर खारीज फरमाया जावे व निगरानीकर्ता की पूर्व आवंटित भूखण्ड बहक पटटा सं. 15 दिनांक 17.04.1977 जो ग्राम पंचायत गुडिया तहसील नोहर द्वारा जारी शुदा है को बहाल फरमाया जावे, और अन्य कोई रिलीफ, जो मुफीद निगरानीकर्ता हो गैरनिगरानी कर्ता से दिलाई जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या– 2, 3 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या– 02 के पक्ष में पट्टा संख्या 16 दिनांक 30.11.2021 को ग्राम पंचायत पदमपुरा द्वारा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या– 03 के पक्ष में पट्टा संख्या 17 दिनांक 06.08.2019 को ग्राम पंचायत पदमपुरा द्वारा विधिवत रूप से जारी किया गया है। निरीक्षण कमेटी द्वारा मौका देख कर रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसमें वर्तमान में कब्जा अप्रार्थी संख्या– 2, 3 को बताया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 विधि सम्मत है। अतः प्रार्थी निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.06.2025 में अंकित किया है कि *प्रत्यर्थी गोरधन के नाम से ग्राम पंचायत गुड़िया द्वारा जारी पट्टा दिनांक 17.04.1977 की भूमि वर्तमान में गोरधन के कब्जा में नहीं होनें से प्रत्यर्थी भागुराम व चन्द्रकला के पट्टो की भूमि से माप का मिलान नहीं होनें से पट्टा संख्या 5 दिनांक 17.04.1977 को खारिज कर दिया जावे व ग्राम पंचायत पदमपुरा द्वारा भागुराम के नाम से जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

06.08.2019 व चन्द्रकला के नाम से जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 30.11.2021 को यथावत रखा गया''।

अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 में को त्रुटि कारित नही की है। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी गोरधन का पट्टा संख्या 5 दिनांक 17.04.1977 की भूमि वर्तमान में गोरधन का कब्जा नहीं होनें से खारिज किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 24/3/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:38 IST
Reason: SelfAttested